

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

मंगलवार, 25 अगस्त, 2015/3 भाद्रपद, 1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तरः

(1) तारांकितः

- (i) स्थगित }
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे
 } जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकितः

- (i) स्थगित }
(ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के
 } उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) जल (प्रदूषण का नियन्त्रण एवं निवारण), अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);
(ii) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 13 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

- (iii) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 8 और 9 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के मोटरकार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: जी.ए.डी.-सी(पीए)-4-2/2003-11 दिनांक 29.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2015 को प्रकाशित; और
- (iv) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 14 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: जी.ए.डी.-सी(पीए)4-2/2003 दिनांक 29.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.06.2015 को प्रकाशित।
- (2) **श्री जी0 एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-**
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, आचार्य (इंजीनियरिंग), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्त्रित नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)-ए(3)-25/2012 दिनांक 03.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित;
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मशाला अनुदेशक(बहुतकनीकी) वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्त्रित नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:ईडीएन(टीई)-ए(3)2/2010 दिनांक 16.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.07.2015 को प्रकाशित; और
- (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(A)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 107वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
 - (ii) समिति का 108वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 48वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है; और
 - (iii) समिति का 109वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है।
- (2) श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 5वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।
- (3) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 40वां मूल प्रतिवेदन जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या: 3.1 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है; और
 - (ii) समिति का 41वां मूल प्रतिवेदन जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या: 3.5 से 3.10 तक की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है।

(4) श्री खूब राम, सभापति कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 19वाँ कार्वाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री रविन्द्र सिंह
श्री वीरेन्द्र कंवर } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004
दिनांक: 24 अगस्त, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)